संख्या-6-सा-3-227/दस-2014-308/97

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3-निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक : 01 जुलाई, 2014

विषय:- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारियों / पेंशनरों की अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारियों / पेंशनरों की अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन दिये जाने के संबंध में शासनादेश दिनॉक 08-12-2008 एवं 03-12-2012 में यह व्यवस्था की गयी है कि सेवानिवृत्त / मृत सरकारी कर्मचारियों / पेंशनरों की अविवाहित / तलाकशुदा/ विधवा पुत्रियों को कतिपय शर्तों के अधीन 25 वर्ष के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

2- कतिपय विभागों द्वारा इस बिन्दु पर मार्गदर्शन मांगा गया है कि ऐसी पुत्रियों, जो सरकारी सेवक/ पेंशनर, उसकी पत्नी / पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा / विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी अथवा नहीं?

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की संतानों को पारिवारिक पेंशन इसलिये अनुमन्य है कि उन्हें पेंशनर पर आश्रित माना जाता है। पारिवारिक पेंशन केवल उन्हीं संतानों को अनुमन्य है, जो सरकारी सेवक अथवा उसकी पत्नी / पति की मृत्यु की तिथि, जो बाद में हो, को

--2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

अपने पिता / माता पर आश्रित हैं एवं उक्त तिथि को अर्हता की अन्य शर्तें पूर्ण करती हों। यदि उक्त तिथि को दो अथवा अधिक संतानें पारिवारिक पेंशन के लिए अर्ह हों, तो ऐसी प्रत्येक संतान को पारिवारिक पेंशन देय होगी जो पारिवारिक पेंशन हेतु उसकी बारी आने पर पारिवारिक पेंशन के लिए अर्हता की सारी शर्तें पूरी करती हों।

4- इसी प्रकार किसी विधवा / तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन तभी अनुमन्य होगी जब वह सरकारी सेवक अथवा उसकी पत्नी / पति की मृत्यु की तिथि पर पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करती हों।

5- उपर्युक्तानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी पुत्रियों जो सरकारी सेवक/ पेंशनर अथवा उसकी पत्नी/पति की मृत्यु की तिथि जो बाद में हो, को तलाकशुदा/विधवा थीं, को पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करने पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी परन्तु ऐसी पुत्रियों जो सरकारी सेवक/ पेंशनर, उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा/ विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-6-सा-3-227(1)/दस-2014-308/97, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, श्री राज्यपाल सचिवालय, मुख्य लेखाधिकारी, विधान सभा/विधान परिषद, विशेष सचिव, वित्त, इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदेश के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in